

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०—NULM-PMC/002/SM&ID-comm/2015-16

१५ पटना, दिनांक— १/८/१६

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत SM&ID घटक के अधीन 22 नगर निकायों में गठित किये गये 703 स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दी जाने वाली आवर्ती राशि (Revolving Fund) प्रति स्वयं सहायता समूह रू० 10,000.00 (दस हजार रू० मात्र) की दर से 703 X 10000= कुल 70,30,000.00 रू० (सत्तर लाख तीस हजार रू० मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निकायवार विमुक्त की जाने वाली स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	स्वयं सहायकता समूह की सं०	कुल राशि (रू० में)
1.	सासाराम	34	340000
2.	मुंगेर	25	250000
3.	डेहरी	11	110000
4.	जहानाबाद	25	250000
5.	कटिहार	21	210000
6.	शेखपुरा	47	470000
7.	सुपौल	19	190000
8.	जमुई	16	160000
9.	औरंगाबाद	10	100000
10.	बेतिया	74	740000
11.	बेगूसराय	12	120000
12.	आरा	8	80000
13.	अररिया	30	300000
14.	मधेपुरा	25	250000
15.	दरभंगा	20	200000
16.	छपरा	9	90000
17.	बक्सर	14	140000
18.	भागलपुर	184	1840000
19.	सहरसा	50	500000
20.	भभुआ	10	100000
21.	सीतामढ़ी	49	490000
22.	दानापुर	10	100000
	कुल	703	70,30,000

2. सारणी में अंकित नगर निकाय के संबंधित स्वयं सहायता समूह की सूची संलग्न है।

3. संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत राशि का आवंटन चयनित स्वयं सहायता समूह के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही करेंगे।
4. स्वीकृत राशि की विमुक्ति DAY-NULM की संचित राशि से RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
5. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

*8/8/16*

अपर सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :-NULM-PMC/002/SM&ID-comm/2015-16- 335 न०वि०एवंआ०वि०/दिनांक- 9/8/16  
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी/उप निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, बुडा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/टीम लीडर, PMC- NULM, इन्दिरा भवन, 7वाँ तल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*8/8/16*

अपर सचिव-सह-निदेशक।

*(M)*